पंचायती राज प्रशासन गांवों के संगठित करने वाली वह पंचायती संस्था जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। पंचायती का अध्यक्ष तहसीलदार के निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायती के खर्चे का 11 रुपया 25-12 रुपया के प्रमाणों का नाम तहसीलदार पुत्र उमेदराम दर्ज है वह गहत है प्रमाणों का सही नाम तहसीलदार पुत्र उमेदराम है प्रमाणों के लिए के साथ पत्र उनकी माता के संयुक्त ग्राम निरसन के प्रमाण पत्र आधार पर पंचायत पत्र संस्थाएं दस्तावेज में तहसीलदार के पद में बने हुए हैं इन समस्त दस्तावेज में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधार पर तहसीलदार हाल तलवाराम पुत्र उमेदराम दर्ज करने की अनुज्ञा मांगी।

आः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 13 ए. राजस्व आपत्तिया तलबी हेतु पेश आया तहसीलदार सूची का आदेश किया आज दी गई ग्राम चाणी के खसरा नम्बर 111 रकबा 2.12 बीघा व ग्राम सुवाणा के खसरा नम्बर 1336 रकबा 12.15 बीघा प्रश्नगत के नाम तलवाराम पुत्र उमेदराम के स्थान पर तलवाराम पुत्र उमेदराम पीछिया स्वयं के नाम दर्ज किया जावे आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

दु॰ ॥ 21

बाद होवा तो चालो